



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232151
CG-DL-E-27122021-232151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5013]
No. 5013]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2021/पौष 6, 1943
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2021/PAUSA 6, 1943

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5407(अ).—केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लीबिया संबंधी संकल्पों का क्रियान्वयन, आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लीबिया संबंधी संकल्पों का क्रियान्वयन (संशोधन) आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लीबिया संबंधी संकल्पों का क्रियान्वयन आदेश, 2016 की अनुसूची के परिशिष्ट 3 में, शीर्षक "ए व्यक्ति" के अधीन, पैरा एलवाईआई 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:

"एलवाईआई.029 नाम: 1: ओसामा 2: अल कुनी 3: इब्राहिम 4: उपलब्ध नहीं

शीर्षक: अल नस्र शरणार्थी केन्द्र जाविया का सरगना पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्मतिथि: 04 अप्रैल, 1976 पीओबी: त्रिपोली, लीबिया सुजात उर्फ: क) ओसामा मिलाद ख) अल-मिलाद ग) ओसामा जाविया घ) ओसामा जावियाह ड) ओसाम अल कुनी अल्पज्ञात उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: लीबिया पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: जाविया लीबिया सूचीबद्ध: 25 अक्तूबर, 2021 अन्य जानकारी: अल नस्र शरणार्थी केन्द्र के सरगना के रूप में

संबंधित व्यक्ति के पास प्रत्यक्ष तौर पर और/या अधीनस्थ जो लागू अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का उल्लंघन करने वाले कार्यों में शामिल हो या उसका समर्थन करते हो या फिर लीबिया में गठित मानवाधिकारों का हनन करते हो। यह संबंधित व्यक्ति जावियाह नेटवर्क जो मानव तस्करी से संबंधित गतिविधियों, नामतः मोहम्मद कशलफ (एलवाईआई.025) और अब्दुलरहमान अल मिलाद (एलवाईआई.026) जैसे दो सूचीबद्ध आंतरिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के निमित्त या निदेश पर काम कर रहे हैं। संकल्प 1970 के पैराग्राफ 15 और 17 के अनुसार सूचीबद्ध (यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्त)। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/ViewUNNotices-Individuals>”;

[फा. सं. यू.II/152/30/2015 (भाग-II)]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव, (संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक)

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 2158(अ), तारीख 20 जून, 2016 में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या, का.आ. 860(अ), तारीख 26 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 5407(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Libya Order, 2016, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Libya (Amendment) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Libya Order, 2016, in the Schedule, in Annexure 3, under the heading “**A Individuals**”, after the paragraph LYi. 28 and the entries relating thereto, the following paragraph shall be added, namely :-

“**LYi.029 Name:** 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: na

Title: Manager of Al Nasr Detention Center in Zawiyah **Designation:** na **DOB:** 04 April 1976 **POB:** Tripoli, Libya **Good quality a.k.a.:** a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiyah d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libya **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Zawiyah, Libya **Listed on:** 25 October 2021 **Other information:** As de facto manager of the Al Nasr detention center the person concerned has directly, and/or through subordinates engaged in or provided support to acts that violate applicable international human rights law, or acts that constitute human rights abuses in Libya. The Person concerned has acted for or on behalf of or at the direction of two listed individuals intrinsically linked to the human trafficking activities of the Zawiyah network, namely Mohamed Kashlaf (LYi.025) and Abdulrahman al Milad (LYi.026). Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (**Travel Ban, Asset Freeze**) INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.”

[F. No. U.II/152/30/2015 (Pt-II)]

PRAKASH GUPTA, Jt Secy. (United Nations Political)

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2158(E), dated the 20th June, 2016 and last amended *vide* notification number S.O. 860(E), dated the 26th February, 2020.